

R75-20413  
ES-3-20

2007  
24-3-22

सेवा में,

श्रीमान जेटर गौरव औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
/जनसूचना अधिकारी महोदय जनपद गौतमबुद्धनगर

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी को निम्न लिखित सवालों के जवाब जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है जो निम्न प्रकार है:-

प्रश्न-1 मुख्य संख्या 2 प्लॉट A क्षेत्रफल 2360 वर्गमीटर ग्राम कार पत्रांक से सम्पत्ति/किसान आवादी 2009/1934 दिनांक 27/11/20 को पत्र जारी किया गया था। जिस क्रम पर मुख्य आवंटित किया गया वह भूमि क्या प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण है व अतिक्रम मुक्त है।

प्रश्न-2 उक्त मुख्य प्लॉट किस भूमि पर नियोजित है क्या उक्त वि कार्य (सिंच, रोड, ड्रेन, सप) कराया जा चुका है।

PIO land  
A  
25/3/22

प्रश्न-3 क्या उक्त भूखण्ड पर आवंटित कच्चा पिका जासकता है।

प्रार्थी नियमानुसार पोस्टल आर्डर सं० 886 862958 के द्वारा न्यायशुल्क अदा कर रहा है।

दिनांक:- 24/03/2022

प्रार्थी  
दि. बशकुमा 12

R/o Harno-701, T2  
Parsvnath Sansaram  
Society, G.R. Noida.  
Mob. No - 999950542

सलग्नक-

1. पोस्टल आर्डर सं० - 886 862958
2. आवंटन पत्र

# गेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच - 169, सेक्टर - गाना, चितवन एस्टेट, गेटर नौएडा सिटी, जिला - गौतम बुद्ध नगर  
दूरभाष नं० : 95120-2326150/151 फेक्स नं० 95120-2326143/145

पत्रांक : सम्पत्ति / विकास आवेदी/ 2009 //  
तिथि : 27-11-2009

व्यक्ति पत्राचारक (सम्पत्ति)  
गेटर नौएडा प्राधिकरण

LAXMAN SINGH,

S/W/D/o RAM SAWROOP SINGH,

पता : VILL-CHUHARPUR KHADER  
G. B NAGAR

महोदय महोदया

प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके ग्राम CHUHARPUR KHADER की प्रस्तावित आवेदी को ग्राम KASNA की प्रस्तावित आवेदी के समान ही माना जायेगा।  
भूखण्ड संख्या 2 प्लॉट A क्षेत्रफल 2360 वर्गमीटर आवेदी विस्तार हेतु आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि रु 1737786.00 देय तिथि तक गेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से बैंक ऑफ बडौदा (शांति कम्प्लेक्स) सेक्टर गाना, गेटर नौएडा में जमा कराना सुनिश्चित करें। इस आवंटन में निम्नलिखित शर्तों की बाध्यता अनिवार्य होगी:

आवंटन संख्या : CHU012306  
भुगतान पद्धति

भुगतान कोड	देय तिथि	देय धनराशि
Development Amount	12-12-2009	1737786
Water Charges		1200.00
Sewer Charges		2800.00

1. इस भूखण्ड पर भवन निर्माण 6 वर्ष के अन्तर्गत पूर्ण करना होगा।
2. निश्चित समय अर्थात् निर्माण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
3. इस भूखण्ड पर भवन नियमावली (ग्रामीण) की शर्तों के अनुसार निर्माण करना आवश्यक होगा।
4. इस भूखण्ड के हस्तान्तरण पर तीन वर्ष तक प्रतिबन्ध होगा। प्रतिबन्ध के विपरीत यदि भूखण्ड को आवेदी / कृषक द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है तो निर्माण में अर्ध कृषक श्रेणी को प्राप्त 12% के कोटे के अन्तर्गत प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में प्राप्त आरक्षण सुविधा में बाँट कर दिया जायेगा।
5. पट्टी पंजीकरण की धनराशि पट्टी निष्पादन के समय ही भुगतान करनी होगी।
6. आवेदी द्वारा भूखण्ड के क्षेत्रफल में यदि बाणिज्यिक गतिविधि के उपयोग हेतु अनुमति मांगी जाती है तो ऐसी दशा में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क अति देय होगा।
7. आवंटित भूखण्ड के ले आउट प्लान में भूखण्ड के क्षेत्रफल में घटत / बढ़त भी हो सकती है जो आवेदी द्वारा मान्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि स्वामित्व / परम्परागत कृषक / निवास के सम्बन्ध में सूचना गलत पाई जाती है तो आवेदी हेतु भूखण्ड का आवंटन स्वतः ही समाप्त जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करते हुए जमा धनराशि के चालान की एक प्रति इस कार्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

*(Handwritten signatures and stamps)*

